रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2006/ज्येष्ठ 30, 1928
No. 129] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2006/JYAISTHA 30, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2006

सं. 23 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/172/एएम-07/पी सी-I.—विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-I) के पैराग्राफ 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, स्पष्ट करते हैं कि भारत/विदेश में परियोजनाओं/टर्नकी परियोजनाओं के लिए मान्य निर्यातों/अग्रिम लाइसेंस हेतु अग्रिम लाइसेंस के तहत की गई आपूर्तियों को छोड़कर, जिनके लिए निर्यात दायित्व, परियोजना/टर्नकी परियोजना के कार्यान्वयन की करार अवधि के दौरान ही पूरा करना होगा, 1-4-2004 से 31-8-2004 की अवधि के दौरान जारी अग्रिम लाइसेंस हेतु प्रारम्भिक निर्यात दायित्व अवधि 24 महीने होगी। लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं जो किन्हीं अतिरिक्त दस्तावेजों/शुल्क इत्यादि की माँग के बिना इन पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

के. टी. चाको, महानिदेशक,
विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th June, 2006

No. 23 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/94/180/172/AM-07/PC-I.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby clarifies that the initial export Obligation period for Advance Licences issued during the period 1-4-2004 to 31-8-2004,

except in case of supplies under Advance Licence for Deemed Exports/Advance Licence to the projects/turnkey projects in India/abroad where the export obligation must be fulfilled during the contracted duration of execution of the project/ turnkey project, shall be 24 months. The licence holders may present their licences to the concerned Regional Authorities, who may take necessary action without insisting on any additional documents/fee etc.

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade
ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.